राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :– 835/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत्त–तृतीय,
जयपुर । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जयराम गुर्जर पुत्र श्री हनुमान सहाय गुर्जर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल , सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :05.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–चतुर्थ), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 165/अपील्स–IV/2009–10/एफ के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा)द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत् आरोपित शास्ति रू.1,33,800/–को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकार द्वारा दिनांक 06.04.09 को अजमेर रोड टोल नाके के पास वाहन संख्या आर. जे.–14–2 जी–1372 को जांच हेतु रोका गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने वाहन में परिवहनीत माल "देशी घी कृष्णा ब्राण्ड" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी कम्प्यूटराइज्ड इन्वॉयस क्रमांक 38 दिनांक 06.04.09, 160 टिन शुद्ध घी रू.4,45,366/– वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत कर, अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना प्रकट किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)बी के तहत् विहित दस्तावेज वक्त माल परिवहन माल संबंधित दस्तावेजों के संलग्न नहीं होने के कारण अधिनियग की धारा 76(2)बी के प्रावधानों का

लगातार.....2

उल्लघंन होना अवधारित कर, वाहन को मय माल के अधिनियम की धारा 76(5) व 76(9) के तहत् निरूद्ध कर, विहित दस्तावेजों के अभाव में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, वाहन मालिक को धारा 76(9) के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् शास्ति रू. 1,33,800/– आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुये, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह पूर्णतः उचित एवम् विधिसम्मत है जिसे विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है । तद्नुसार प्रार्थना की कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित शास्ति को पुनर्स्थापित (restore) करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अभिवाक् किया है कि विद्वान् उप–राजकीय अभिभाषक के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं । इस संबंध में कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानानुसार माल संबंधी समस्त विहित दस्तावेज माल के परिवहन के दौरान मौजूद थे, उनमें से किसी भी दस्तावेजों को विद्वान सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या अथवा कूटरचित होना प्रमाणित नहीं किया हे । अतः इस आधार पर प्रकरण में शास्ति आरोपण योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त वर्णित आधारों पर आरोपित शास्ति पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है ।

अग्रिम कथन किया कि विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व दिनांक 06.04.2009 को अभियोग दर्ज कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी व श्री जयराम पुत्र हनुमान सहाय, वाहन चालक के नाम से दिनांक

लगातार.....3

13.04.2009 के लिए संयुक्त नोटिस अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु जारी किये गये हैं जिसके संबंध में दिनांक 08.04.09 एवं दिनांक 09.04.09 को प्रारम्भिक आपत्तियां एवं शपथ पत्र जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् वाहन मय माल जमानत पर छोड़ दिया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी माल व वाहन को छोड़े जाने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरांत लगभग तीन माह पश्चात् एकपक्षीय आदेश पारित कर, जरिये स्पीडपोस्ट आदेश की प्रति प्रेषित की गयी। यह समस्त कार्यवाही अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.07.2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आम बजट में उड़नदस्तों को समाप्त किये जाने संबंधी घोषणा केएक दिन पूर्व किया जाना प्रकट किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिक प्रावधानों के विपरीत होने व नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व होना प्रकट किया गया।

अग्रिम तर्क दिया कि प्रकरण में माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पते, माल की किस्म, मूल्य, पंजीयन संख्या आदि मौके पर उपलब्ध थे तथा परिवहनित माल से संबंधित समस्त सूचना, इनवॉयस संख्या 38 दिनांक 06.04.2009 जो मैसर्स आमे सेल्स एजेन्सी, पड़ाव बाजार, अजमेर, टिन 08550005779 के नाम जारी 160 टीन देशी घी, 15 किलो प्रति टीन कुल 2400 किलो कीमतन रू.4,28,077/ वेट 4 प्रतिशत की दर से रू.17,289/— अंकित होने के बावजूद अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के शास्ति आरोपित की गयी है। जहां तक वक्त जांच बिल्टी नहीं होने का प्रश्न है, कथन किया कि वाहन मालिक की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर, बिल्टी के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, परन्तु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर, अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लघंन होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है।

विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम अभिवाक् किया कि विभिन्न परिस्थितियों में वाहन मालिक को यह संदेश नहीं होता है कि वाहन चालक के द्वारा वाहन किस स्थान के लिए बुक किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि माल मालिक के द्वारा कोई भी दस्तावेज वाहन चालक को दिये जाते हैं एवम् यदि उक्त दस्तावेज वाहन चालक द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाये या वाहन चालक द्वारा वाहन को रोका नहीं जाये, अधिकारियों से असहयोग किया जाये तो ऐसी स्थिति में, ही वाहन मालिक या वाहन चालक पर अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत् शास्ति आरोपणीय है, जबकि हस्तगत प्रकरण के

लगातार.....4

संबंध ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुयी थी बल्कि वाहन चालक द्वारा सशक्त अधिकारी से पूर्ण सहयोग करते हुये वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, ऐसी स्थिति में, वाहन मालिक के विरूद्ध शास्ति आरोपण अविधिक है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि राज्य के अन्दर के अन्दर माल का लाना ले जाने के सम्बन्ध में अधिनियम या उसके नियम में कोई भी पृथक से प्रावधान नहीं हैं। बिल्टी आदि से सम्बन्धित प्रावधान अन्तर्राज्यीय गमनागमन के दौरान परिवहनित माल के सम्बन्ध में है। मौके पर वाहन चालक के द्वारा व्यवहारी के द्वारा दिये गये समस्त दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किये गये थे जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अन्यथा निर्वचन कर, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत 394/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 30.10.2013 व अपील संख्या 563/2010/धौलपुर निर्णय दिनांक 26.06.2013 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 76(9) के प्रावधानों का अध्ययन करना समीचीन होगा । जो इस प्रकार हैः—

> धारा 76(9).— Where the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier is found guilty for violation of the provisions of sub–section (2), the Incharge of the check–post or barrier or ***"the officer authorized"*** under sub–section (4) may detain such vehicle or carrier and after affording an opportunity of being heard to such owner, driver or person, may impose a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में तथा रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अधिनियम की धारा 76(2)(ए) से (ई) में अन्य परिस्थितियों का उल्लंघन कर, अपराध का कारित करने की दशा में, अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति के प्रावधान मालिक अथवा वाहन चालक पर हैं। प्रकरण में निर्णय के लिये अधिनियम की धारा 76(2) के सम्पूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करना समीचीन है। धारा 76(2) का मूल पाठ इस प्रकार हैः—

लगातार.....5

धारा 76(2).– The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set–up under sub–section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check–post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check–post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

Explanation.– For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

(i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;

(ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and

(iii) the goods which are being carried by a person.

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से यह विदित होता है कि मालिक अथवा ऐसा व्यक्ति जिसे मालिक के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, अथवा वाहन चालक अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति अथवा माल का केरियर,वाहन में लदे माल के संबंध में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् वहनीत समस्त वस्तुओं के दस्तावेज, जिनमें चालान भी शामिल है व बिल्टियां, इन्वॉयसेज, घोषणा प्ररूप तथा बिल ऑफ सेल अथवा डिस्पेच मीमो रखेगा तथा अधिनियम की धारा 76(2)(डी) के तहत् समस्त सूचना, जो उसके पास है, को प्रस्तुत करेगा, बाध्यकारी प्रकृति के हैं। हस्तगत प्रकरण में वाहन

लगातार.....6

मालिक अथवा वाहन चालक द्वारा माल संबंधी जो दस्तावेज वाहन के साथ रखे गये, जांच के समय इन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है एवम् माल से संबंधित समस्त सूचना जो उसके पास थी उपलब्ध करवा दी गयी थी एवम् अधिनियम की धारा 76(2) के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना सक्षम अधिकारी द्वारा सुस्थापित नहीं किया गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों व तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाकर, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

5.8.2010

(मदन लाल)
सदस्य